आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, गढ़वा

भूमि विक्री अनुमति वाद सं०–123/2021

सी०एन०टी० एक्ट की धारा–46(1)(B) अंतर्गत

श्री शम्भु माँझी – विक्रेता

प्रति

श्रीमती कविता कुमारी – क्रेता

आदेश

.01.2022

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक (विक्रेता) श्री शम्भु माँझी, पिता स्व० मोहन माँझी, ग्राम–चिरौंजिया, पोस्ट–नवादा, थाना–गढ़वा, जिला–गढ़वा में मौजा–चिरौंजिया, थाना नं०–236 के अन्दर खाता सं०–161, प्लॉट सं०–1242/1293, **कुल रकबा–0.04 एकड़** भूमि क्रेता श्रीमती कविता कुमारी पति अशोक कुमार, ग्राम–कोल्हुआ, पोस्ट–अधौरा, थाना–नगर उँटारी, जिला–गढ़वा को भूमि विक्री करने की माँग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के धारा–46(1)(B) के अंतर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त खाता–प्लॉट की भूमि हेतु आम सूचना निर्गत किया गया तथा अंचल अधिकारी, गढ़वा एवं उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा का जाँच प्रतिवेदन के माध्यम से प्राप्त हुआ है। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक (विक्रेता) के पिता एवं अन्य के नाम से सम्मिलात में मांग पंजी–II के पृष्ट सं०–104/1 पर मांग चलता है। उपर्युक्त भूमि आवेदक (विक्रेता) के शांतिपूर्ण दखल–कब्जे में है।

अंचल अधिकारी, गढ़वा के पत्रांक–06, दिनांक–03.01.2022 एवं उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा के पत्रांक–04, दिनांक–08.01.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन तथा आम सूचना प्राप्त हुआ है। विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस भूमि को विक्री करने के संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि आवेदक (विक्रेता) एवं क्रेता दोनों एक ही जिला के निवासी हैं। विक्रेता जाति के दुसाध (अनुसूचित जाति) एवं क्रेता जाति के दुसाध (अनुसूचित जाति) के सदस्य है। उक्त भूमि रैयती/खरीदगी खाते की भूमि है।

अतः अंचल अधिकारी, गढ़वा एवं उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक (विक्रेता) श्री शम्भु माँझी, पिता स्व० मोहन माँझी, ग्राम–चिरौंजिया, पोस्ट–नवादा, थाना–गढ़वा, जिला–गढ़वा को क्रेता श्रीमती कविता कुमारी पति अशोक कुमार, ग्राम–कोल्हुआ, पोस्ट–अधौरा, थाना–नगर उँटारी, जिला–गढ़वा को निम्नांकित भूमि विक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46(1)(B) के अन्तर्गत विक्री द्वारा हस्तान्तरण करने की स्वीकृति दी जाती है।

भूमि का विवरण

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
1	2	3	4	5	6
चिरौंजिया	236	161	124/1293	0.04	उ०–नीज विक्रेता, द०–शशी कु० गुप्ता, पु०–अम्बिका पासवान, प०–विक्रेता द्वारा छोड़ा गया 10 फिट रास्ता NH-75 तक
			कुल रकबा :–	**0.04**	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

18/01/22 | 18/01/22

अपर समाहर्त्ता,
गढ़वा।

अपर समाहर्त्ता,
गढ़वा।

Digitally signed by Pankaj Kumar Singh
Date: 2022.12.05 16:13:17 +05:30
Location: 192.168.36.160

Scanned with CamScanner